



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन' विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष: 0522-2720383, 384, 137, 138, 139 फ़ैक्स : 0522-2720056

ई-मेल : mandipar@hotmail.com वेबसाइट : www.upmandiparishad.in



पत्रांक: विप0-1/336-सामान्य लाइसेन्स/2018- 1499

दिनांक: 22/03/2018

आदेश

मण्डी नियमावली, 1965 के नियम-70(4)(1)(ग) को स्पष्ट किये जाने विषयक निर्गत परिषद आदेश संख्या-विप0-1/336-सामान्य लाइसेन्स/2018-1376 दिनांक 16.02.2018 के प्रस्तर-2 में निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 39(2) के अधीन परिषद में निहित अधिकारों, जिनका प्रत्यायोजन उक्त अधिनियम की धारा 26-झ के अधीन किया गया है, का प्रयोग करते हुए मैं रमाकान्त पाण्डेय, निदेशक, उपविधि 56 के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित करने का आदेश देता हूँ, अर्थात:-

उपविधि-56(क)

"मण्डी नियमावली, 1965 के नियम-70(4)(1)(ग) को स्पष्ट किया जाता है कि 30 दिन में सकारण आदेश न होने की स्थिति में लाइसेंस अनुमोदित समझा जायेगा।"

अतः समस्त मण्डी समितियों उपर्युक्त प्राविधान को संकल्प कर अंगीकार करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

पृष्ठांकन: पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि- अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन); मण्डी परिषद, उ0प्र0
3. उपनिदेशक (प्रशा0/विप0)/प्रभारी अधिकारी विप0-2 अनुभाग मण्डी परिषद मुख्यालय ।
4. समस्त सचिव/सभापति, मण्डी समितियों, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय ।
6. सिस्टम एनालिस्ट को मैसेज बॉक्स/मण्डी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. गार्ड फाईल हेतु ।

S.O.
L.M.

21.3.18
निदेशक

22-3-18